रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940
No. 471] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

(आयकर)

का.आ. 584(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के परंतुक के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 24 मई, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2088(अ) तारीख 24 मई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में "शेयर जारी करने पर कंपनी द्वारा प्राप्त ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, यदि प्रतिफल, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i), तारीख 11 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 364 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2018 के पैरा 4 के उप-पैरा (3) के खंड (i) के अधीन अंतरमंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनुदत्त किए गए अनुमोदन के अनुसार विनिधानकर्ता से, शेयर जारी करने पर प्राप्त किया गया है।" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "शेयर जारी करने पर कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता से प्राप्त ऐसे प्रतिफल के लिए लागू नहीं होंगे जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, यदि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i), तारीख 11 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 364(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2018 के पैरा 4 के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित शेयरों का ऐसा निर्गमन जिसे अधिसूचना संख्या 34(अ) तारीख 16 जनवरी, 2019 द्वारा उपान्तरित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 जनवरी, 2019 में प्रकाशित किया गया है" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

3. यह अधिसूचना भूतलक्षी रूप से 16 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 9/2019/फा. सं. 370142/5/2018-टीपीएल(भाग)]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. संख्यांक 2088(अ) तारीख 24 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : वर्तमान अधिसूचना को प्रभावी करने पर किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

(INCOME-TAX)

S.O. 584(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), Central Government hereby makes following amendment to the notification number S.O. 2088(E) dated the 24th May, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th May, 2018, namely:—

2. In the said notification for the words, brackets, figures, and letters *"consideration received by a company for issue of shares that exceeds the face value of such shares, if the consideration has been received for issue of shares from an investor in accordance with the approval granted by the Inter-Ministerial Board of Certification under clause (i) of sub-para (3) of para 4 of the notification number G.S.R. 364(E), dated 11th April, 2018 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 11th April, 2018 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion"*, the words, letters, figures and brackets *"consideration received by a company from an investor for issue of shares that exceeds the face value of such shares, if such issue of shares is approved by the Central Board of Direct Taxes under para 4 of notification number G.S.R. 364(E) dated 11th April, 2018 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) dated the 11th April, 2018 issued by Department of Industrial Policy and Promotion as modified by notification number 34(E) dated 16th January, 2019 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) dated the 16th January, 2019"* shall be substituted.

3. This notification shall be deemed to have come into force retrospectively from the 16th January, 2019.

[Notification No. 9/2019/F. No. 370142/5/2018-TPL (Pt.)]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy and Legislation)

Note : Principal notification was published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 2088(E) dated the 24th May, 2018

Explanatory Memorandum: By giving retrospective effect to the present notification, no body shall be affected adversely.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.31 22:44:50 +05'30'